

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 266 / 2013 सत्रवाद  
संस्थित दिनांक. 22.10.2013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### बनाम

मुबारक खॉ पुत्र समसुद्दीन खॉ उम्र 27 वर्ष।  
निवासी बाबरपुर, थाना अजीतमल, जिला औरैया  
(उ0प्र0)

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता।  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0. 764 / 2013 इ0फौ0  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 266 / 2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्त द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्त अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 30-03-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 498ए, 306 भा.दं.वि. के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 13.07.2013 या उसके पूर्व मृतिका आसमा को कस्बा मौ में अपने घर पर उसके पति होते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका आसमा को आत्महत्या करने के लिए दुषेरेत किया जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई।

02. यह अविवादित है कि मृतिका आसमा का विवाह आरोपी मुबारक खॉ के साथ

हुआ था, इस प्रकार मृतिका आरोपी की विवाहिता पत्नी थी। यह भी अविवादित है कि मृतिका को पहले मौ अस्पताल ले जाया गया जहाँ से उसे ग्वालियर के लिए रिफर किया गया था।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 13.07.2013 को आसमा पत्नी मुबारक खॉ जो कि अपने पिता के यहाँ मौ कस्बा में अपने मायके में रह रही थी, उसके द्वारा उक्त दिनांक को चूहे मारने वाली दवाई खॉ ली गई। उसे इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ ले जाया गया जहाँ से जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर रिफर किया गया था। उक्त दिनांक को ही शाम सात बजे जे.ए.एच. अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के सूचना जे.ए.एच. हॉस्पिटल के चिकित्सक के द्वारा थाना कम्पू में दी गई जो कि मर्ग सूचना क्रमांक 0379/13 धारा 174 सी.आर.पी.सी. का कायम किया गया। मृतिका के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया जिस हेतु सफीनाफार्म प्र.पी. 1 जारी किया गया और पोस्टमार्टम किया गया। जिसमें जहरीला पदार्थ के सेवन से उसकी मृत्यु होना पाया गया। घटनास्थल पुलिस थाना मौ का होने से थाना मौ जिला भिण्ड में नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 6 तैयार किया गया। अकाल मृत्यु की सूचना अंतरित होकर पुलिस थाना मौ में आई। उपरोक्त अकाल मृत्यु की सूचना मिलने पर उसकी जाँच की गई। जाँच में यह तथ्य आया कि मृतिका आसमा आरोपी मुबारक खॉ की विवाहिता पत्नी थी। विवाह के उपरांत से आरोपी के द्वारा अपनी विवाहिता पत्नी को मानसिक रूप से परेशान व प्रताड़ित किया जाता था और यह धमकी दी जाती थी कि वह दूसरी शादी कर लेगा। पति के द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी देने से वह मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो गई कि उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस हेतु उसके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे इलाज कराने हेतु सर्वप्रथम सी.एच.सी मौ ले जाया गया जहाँ उसका इलाज किया गया और इस दौरान तत्कालीन चिकित्सक हरीश हासवानी के द्वारा मृतिका का मृत्युकालीन कथन प्र.डी. 9 लेखबद्ध किया गया। मृतिका की हालत ठीक न होने से उसे जे.ए.एच. ग्वालियर इलाज हेतु रिफर किया गया, जहाँ कि इलाज के दौरान दिनांक 13.07.2013 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना थाना कम्पू में दी गई। घटना जो कि थाना मौ क्षेत्र की होने से मर्ग थाना मौ भेजी गई जिसकी जाँच की गई। दौरान जाँच साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिटि उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 498ए, 306 भा0दं0वि0 अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार

किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपी के द्वारा मृतिका आसमा को आत्महत्या करने के लिए दुष्टेरित किया जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई?
2. क्या दिनांक 13.07.2013 या उसके पूर्व आरोपी मुबारक खॉ मृतिका आसमा बाई के पति होते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जिससे कि उसे आत्महत्या करने हेतु मजबूर होना पड़ा?

### **-: सकारण निष्कर्ष:-**

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

07. प्रकरण यह तथ्य अविवादित है कि मृतिका आसमा आरोपी मुबारिक खॉ की विवाहिता पत्नी है। मृतिका आसमा की मृत्यु हो जाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी वहीद खॉ अ0सा0 1 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा यह बताया गया है कि वह और उसकी पत्नी अन्य प्लाट पर थे, उसकी छोटी लडकी बुलाने आई और बताया कि दीदी ने कुछ खा लिया है, वे लोग घर आए और उसे अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे ग्वालियर के लिए रिफर किया गया, ग्वालियर में लडकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शफीनाफार्म प्र.पी. 1 तैयार किया था, लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाया था और नक्शामौका प्र.पी. 3 तैयार किया था और लाश सुपुर्दगी पर दी थी जिस संबंध में सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 4 बनाया था। इसी प्रकार का कथन साक्षिया मदीना वेगम अ0सा0 2 जो कि मृतिका की माँ के द्वारा भी अपने कथन में बताया है कि उसकी छोटी लडकी बुलाने आई थी कि दीदी ने कुछ खा लिया है और लडकी को पहले अस्पताल ले गए थे वहाँ से उसे ग्वालियर रिफर किया गया था, ग्वालियर अस्पताल में वह खत्म हो गई थी।

08. मृतिका की मृत्यु के उपरान्त उसकी लाश का पंचनामा नायब तहसीलदार एवं कार्यपालन मजिस्ट्रेट प्रतिज्ञा टेगुलाकर अ0सा0 3 के द्वारा तैयार किया गया है जो कि मृतिका

के शव को देखने पर उसके शरीर पर कोई भी दिखने वाली चोट नहीं पाई थी। पंचों की राय में मृतिका की मृत्यु चूहे मारने वाली जहरीला दवा के सेवन के कारण होना पाई गई थी। इस संबंध में लाश का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 6 तैयार करना और उसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया है कि चूहे मारने वाली दवा खाने से मृत्यु होना पंचों के द्वारा बताया गया था। उक्त साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि चूहे मारने वाली दवा उसने स्वयं खाई थी या उसे किसी ने खिलाई थी, इस संबंध में उसे कोई जानकारी न होना बताया है।

09. उपरोक्त संबंध में डॉक्टर आर.विमलेश अ0सा0 5 जिनके द्वारा कि डॉक्टर हरीश हासवानी के द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट के हस्ताक्षरों को पहचाना है। मेडीकल रिपोर्ट में भी चूहा मारने वाली जहरीली दवा खाने से घबराहट होना और उल्टी हो जाना बताया है और उसे उपचार हेतु कमलाराजा हॉस्पिटल भेजा जाना बताया है।

10. डॉक्टर हीरालाल माझी अ0सा0 6 दिनांक 14.07.2013 को गजराजा मेडीकल कॉलेज ग्वालियर के फोरेंसिक मेडीसिन एण्ड टाक्सोलॉजी विभाग में प्रदर्शक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को उनके समक्ष थाना कम्पू के आरक्षक क्रमांक 1943 अंगदजसिंह मृतिका आशमा पत्नी मुबारक खाँ उम्र 22 वर्ष निवासी मौ का शव मय शवपरीक्षण आवेदनपत्र के प्रस्तुत हुआ। शव की पहचान संबंधित आरक्षक एवं मृतिका के पिता वहीद खाँ के द्वारा दी गई। उसी दिनांक को दोपहर बाद 12:45 बजे शव परीक्षण प्रारंभ किया गया— वाह्य परीक्षण— एक सामान्य कदकाठी महिला का शव शवपरीक्षण टेबिल पर चित अवस्था में रखा हुआ था जो कि सलवार, कुर्ता, ब्रा, चड्डी पहने हुए थी। मृतिका की दोनों आँखें व मुँह बंद, मृट्ठियाँ अधखुली, पेर फेले हुए, मृत्यु पश्चात् की जकडन सारे शरीर में और लालिमा शरीर के उथले भाग में दिखाई दे रही थी। मृतिका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की कोई वाह्य चोट मौजूद नहीं थी। **आंतरिक परीक्षण—** पेट में लाल तरल 50 सी.सी. एवं पेट की म्यूकोजा में रक्त स्राव हुआ था, छाती की गुहा में पीला पानी भरा हुआ था। इसके अलावा मृतिका के सभी अंग स्वस्थ थे। मृतिका के कपड़ों की पोटली, दो बोतल विसरा रासायनिक विश्लेषण हेतु, एक नमक का पैकेट और एक शील नमूना शीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सुपुर्द किए थे। उक्त चिकित्सक के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि मृतिका का शव परीक्षण उनके एवं सहयोगी डॉक्टर व्ही0एस0तोमर के द्वारा किया गया था। उनकी राय में मृतिका की मृत्यु बिसेले पदार्थ के सेवन करने से हृदय एवं स्वशनतंत्र के रुकने से हुई थी जिसकी अवधि शव परीक्षण करने से 6 से 24 घण्टे के दौरान की रही होगी। मृत्यु की प्रकृति परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है। उनके द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 10 है



जिसके ए से ए भाग पर उनके एवं बी से बी भाग पर डॉक्टर व्ही0एस0तोमर के हस्ताक्षर है।

11. उपरोक्त संबंध में साक्षी लायकराम अ0सा0 4 प्रधान आरक्षक थाना कम्पू ग्वालियर के द्वारा यह बताया गया है कि जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर के डॉक्टर शशीकांत आर्य के द्वारा सूचना दिए जाने पर कि मृतिका आसमा वानो की चूहे मारने वाली दवा खाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर उन्होंने मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट लिखी थी जो प्र.पी. 6 है, सफीनाफार्म जारी किया था जो प्र.पी. 1 है जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है तथा मृतिका आसमा के कपड़ों की फोटली, शील नमूना जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 तैयार किया था। शव परीक्षण फार्म भरकर शव परीक्षण हेतु भेजा गया था।

12. उपरोक्त संबंध में साक्षी अमरनाथ वर्मा अ0सा0 7 अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गोहद के द्वारा थाना कम्पू ग्वालियर से मृत्यु की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी जाँच उनके द्वारा किया जाना और जाँच में साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना एवं घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 साक्षियों के बताए अनुसार तैयार करना और आरोपी को गिरफ्तार करना बताया है।

13. इस प्रकार प्रकरण में साक्षी वाहिद खॉ एवं मदीना वेगम के कथन से भी जो कि साक्षी प्रतिज्ञा टेगुलकर अ0सा0 3 के कथन से स्पष्ट है कि मृतिका आसमा की मृत्यु ग्वालियर अस्पताल में हुई थी और मृतिका की मृत्यु ग्वालियर अस्पताल में होना एवं मृत्यु की सूचना चिकित्सक के द्वारा देना साक्षी लायकराम अ0सा0 4 के कथन से भी स्पष्ट होता है, जिन्होंने कि मृतिका की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन चिकित्सक के बताए अनुसार लेखबद्ध किया है, जिसमें कि पोइजन खाकर उसकी मृत्यु हो जाने का उल्लेख आया है और सफीनाफार्म प्र.पी. 1 भी जारी किया गया है। साक्षी प्रतिज्ञा टेगुलकर अ0सा0 3 के द्वारा मृतिका के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया है जिसमें कि मृतिका की मृत्यु चूहे मारने वाली दवाई खा लेना चिकित्सक डॉक्टर आर.विमलेश अ0सा0 5 तथा डॉक्टर हीरालाल माझी अ0सा0 6 जिन्होंने कि मृतिका के शव का परीक्षण किया गया है के कथन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होता है जो कि शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु जहरीला पदार्थ का सेवन करने से हृदय एवं स्वशनतंत्र के रूकने से होना डॉक्टर हीरालाल माझी अ0सा0 6 के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.सी. 1 में भी मृतिका की मृत्यु जहरीला पदार्थ जिंक फासफाइड (चूहे मारने वाली दवा) खा लेने से हो जाना बताया है।

14. इस प्रकार मृतिका आसमा की मृत्यु जिंक फासफाइड (चूहे मार दवा) खा लेने के कारण होना साक्ष्य से स्पष्ट होता है। मृतिका को उक्त जहरीला पदार्थ किसी के द्वारा जबरदस्ती खिलाया गया हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है, बल्कि प्रकरण में आए हुए साक्ष्य,

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि मृतक के द्वारा स्वयं उक्त जहरीला पदार्थ खा लेने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु की प्रकृति आत्म हत्यात्मक प्रकार की होना स्पष्ट होती है।

15. अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या मृतिका को उसके पति आरोपी के द्वारा आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया? क्या आरोपी जो कि मृतिका का पति है उसके द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया जिससे कि उसे आत्महत्या करने हेतु मजबूर होना पड़ा?

16. मृतिका सीमा बाई को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में धारा 306 भा0दं0वि0 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे दण्ड के संबंध में प्रावधान किया गया है। दुष्प्रेरण को धारा 107 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण तीन प्रकार से हो सकता है। (i) उकसाने द्वारा (ii) षड्यंत्र द्वारा (iii) साशय, सहायता या लोप के द्वारा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में कोई भी ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया हो जो कि इस बिन्दु पर प्रकरण में न तो कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य है और न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इस बात की कोई पुष्टि होती है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका सीमा बाई को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है।

17. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा साक्षी बहीद खॉ अ0सा0 1 एवं मदीना बेगम अ0सा0 2 जो कि मृतिका के माता पिता हैं के कथन कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त मृतिका का मृत्युकालीन कथन जो कि चिकित्सक के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में उसके मृत्युकालीन कथन प्र.पी. 9 का लिया गया है।

18. प्रकरण में मृतिका के पिता वहीद खॉ अ0सा0 1 के द्वारा शादी के बाद उसकी लडकी ससुराल से मायके आती जाती थी तब उसके द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी के बारे में कोई बात नहीं बताई थी और न ही उसे उसके पति के द्वारा विवाद चल रहा है बताया था। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गए सूचक प्रश्नों में उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण का किसी भी बिन्दु पर कोई समर्थन व पुष्टि नहीं की गई है।

19. उपरोक्त संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी मदीना बेगम अ0सा0 2 जो कि मृतिका की माँ है के द्वारा बताया है कि उसकी लडकी ने कभी भी उसे कोई परेशानी वाली

बात नहीं बताई थी और उसके व आरोपी मुबारक के बीच में कोई विवाद न चलना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों ही साक्षीगण जो कि मृतिका के माता पिता है के कथनों में कहीं भी आरोपी के द्वारा मृतिका आसमा को किसी भी प्रकार से परेशान या प्रताड़ित करने अथवा उसे आत्महत्या करने के लिए किसी प्रकार से उकसाने या इस संबंध में कोई कृत्य किये जाने बावत् कोई साक्ष्य नहीं आई है।

20. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया गया है कि मृतिका की मृत्यु के पूर्व उसके द्वारा मृत्युकालीन कथन दिए गए हैं जो कि उसके मृत्युकालीन कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होती है।

21. जहाँ तक मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध करने का प्रश्न है। **धारा 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872** के तहत— कथन जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो तब उन मामलों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नागत हो ऐसा कथन सुसंगत होता है। इस संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति कथन कर रहा है उसे कथन देते समय मृत्यु की कोई आशंका रही हो। इस प्रकार मृत्युकालीन कथन एक सुसंगत साक्ष्य होती है।

22. मृतिका के द्वारा किया गया मृत्युकालीन कथन सत्य, स्वेच्छया से और बिना किसी दवाव या प्रभाव के किया जाना पाया जाता है और इस प्रकार के मृत्युकालीन कथन प्रमाणित होता है तो मात्र उसके आधार पर दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है, उसके सम्पुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित किया गया है। इस संबंध में **स्टेट ऑफ़ एम.पी. वि० मोहनलाल बगैरह(1996)9 एस.सी.सी. 16, शकुंतला वि० स्टेट ऑफ़ हरियाणा(2007) सी.आर.एल.जे. 3747 एस.सी., लायकराम बगैरह वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2003 (1) एम.पी.एच.डी. 354** इस संबंध में उल्लेखनीय है।

23. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में अभियोजन के द्वारा मृतिका आसमा का मृत्युकालीन कथन पेश किया गया है जो कि मृत्युकालीन कथन डॉक्टर हरीश हासवानी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में दिनांक 13.07.2013 को 02:40 बजे लेखबद्ध करना बताया गया है। इस संबंध में डॉक्टर आर.बिमलेश अ०सा० 5 जो कि साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थिति हुए हैं और जिनके द्वारा डॉक्टर हरीश हासवानी के हस्ताक्षर की पहचान की गई है। उक्त साक्षी के द्वारा मृत्युकालीन कथन प्र.पी. 9 के ए से ए भाग पर



डॉक्टर हरीश हासवानी के हस्ताक्षर होना और उस पर मृतिका आसमा के भी हस्ताक्षर होना तथा श्रीमती मुन्नी भदौरिया एल.एच.बी. के भी हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। मृत्युकालीन कथन प्र.पी. 9 जो कि डॉक्टर हरीश हासवानी के द्वारा लेखबद्ध किया जाना बताया गया है। उक्त मृत्युकालीन कथन को प्रमाणित करने हेतु डॉक्टर हरीश हासवानी का कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया जा सका है, उनके स्थान पर साक्षी डॉक्टर आर.विमलेश के कथन कराए गए हैं जिनके द्वारा प्र.पी. 9 के मृत्युकालीन कथन में डॉक्टर हरीश हासवानी के हस्ताक्षर को पहचाना गया है। साक्षी के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि प्र.पी. 9 का मृत्युकालीन कथन मृतिका आसमा ने उनके समक्ष नहीं दिया था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि आसमा ने उनके सामने उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर आर. विमलेश के कथन के आधार पर जिनके द्वारा न तो उक्त मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध किए गए हैं और न ही उस पर उनके सामने मृतिका के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त मृत्युकालीन कथन प्र.पी. 9 में लिखे गए तथ्य उक्त साक्षी आर.विमलेश के कथन से प्रमाणित नहीं होते हैं।

24. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि मृतिका के द्वारा प्र.पी. 9 के अनुसार कोई मृत्युकालीन कथन दिया भी गया है तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उससे पूछे गए प्रश्नों में कि उसने जहर क्यों खाया? उसके द्वारा उक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि ससुराल वाले व पति धमकी देते हैं कि हम दूसरी शादी कर लेगे। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतिका के द्वारा अपने मायके में जहरीला पदार्थ दिनांक 13.07.2013 को खाया गया है एवं मृत्यु कालीन कथन में भी यह आया है कि वह सितम्बर, 2012 से अपने मायके में रह रही थी। घटना वाले दिन या उसके आसपास उसके पति या ससुराल वाले उसके पास लिवाने के लिए गए हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है।

25. धारा 306 भा0दं0वि0 की प्रमाणिकता हेतु यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाना बताया जा रहा है उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाना या उस हेतु कोई सहायता किया जाने में सक्रीय रूप से कोई कार्य किया गया हो। जैसा कि इस संबंध में **श्रीमती राधा वि0 स्टेट ऑफ़ एम.पी. आई.एल.आर. 2008(12)एस.सी.सी. 190, श्यालीराम वि0 स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2008(3) एम.जे.आर. 98 एवं कैलाशीबाई वि0 आरती आर्य 2009(2) जे.एल.जे. 419** में माननीय न्यायालयों के द्वारा अवधारित किया गया है कि आरोपी के द्वारा अपराध के उसकाने या उसमें सहायता करने बावत् स्पष्ट साक्ष्य आनी चाहिए जो कि मृतिका के द्वारा आत्महत्या करने, इस संबंध में उकसाए जाने में निकट संबंध होने चाहिए।

26. वर्तमान प्रकरण में यदि मृतिका के मृत्युकालीन कथन को मान भी लिया जाए,



तो भी उक्त मृत्युकालीन कथन से स्पष्ट है कि मृतिका मृत्यु के 8-9 महीने पहले से ही अपने मायके में रह रही थी। इस दौरान आरोपी के द्वारा उसे परेशान या प्रताड़ित किया गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया है और न ही कहीं कोई रिपोर्ट इस आशय की, की गई है। ऐसी दशा में मृतिका जो कि पहले से ही अपने मायके में रह रही थी और पति से उसकी विवाद की स्थिति रही भी है तो आत्महत्या करने के पूर्व उसकी आत्महत्या का तुरन्त कारण आरोपी के द्वारा उसे उकसाया जाना अथवा किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाना है ऐसा भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है और इस प्रकार मृतिका को आत्महत्या करने के लिए किसी प्रकार से उसके पति आरोपी के द्वारा उकसाया जाने का तथ्य प्र.पी. 9 के कथन के आधार पर भी प्रमाणित नहीं है।

27. धारा 498ए भा0दं0वि0 का जहाँ तक प्रश्न है, धारा 498ए भा0दं0वि0 पति व पति के नातेदार के द्वारा स्त्री के प्रति प्रावधान किया गया है। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार - (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो कि ऐसी प्रकृति का हो जिससे कि उस स्त्री को आत्महत्या करने हेतु प्रेरित करने व उस स्त्री के जीवनकाल या स्वास्थ्य जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक को गंभीर क्षति कारित करने की संभावना हो। (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसके या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित या किसी स्त्री को इस कारण तंग करने कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा हो। उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

28. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। यद्यपि यह सत्य है कि मृतिका आसमा के द्वारा आत्महत्या की गई है, किन्तु मृतिका को उसके पति के द्वारा किसी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंग या परेशान किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं आई है। इस संबंध में मात्र मृतिका के मृत्युकालीन कथन जो कि समुचित रूप से प्रमाणित भी नहीं है में केवल यह आया है कि पति दूसरी शादी करने की धमकी देता है, किन्तु इस तथ्य की पुष्टि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य के कथन के आधार पर नहीं होती है कि आरोपी के द्वारा दूसरी शादी करने की कोई धमकी दी जाती है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार कि मृतिका के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है उसके पति आरोपी के द्वारा उसे परेशान व प्रताड़ित किये जाने की साक्ष्य मानते हुए इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

29. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा मृतिका आसमा को प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता का

व्यवहार किया जाना अथवा उसके द्वारा मृतिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित न होना पाते हुए आरोपी मुवारक खों को आरोपित अपराध धारा 498ए, 306 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

30. प्रकरण में जप्तशुदा मृतिका का दो बोटल विषरा शीलबंद, कपडों की शीलबंद पोटली, नमक का पैकेट मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)